न्यायालय सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सत्र वाद संख्या–04/2025

चिरैया थाना कांड संख्या–90/2021

राज्य.....(उपेन्द्र सहनी).....अभियोजन पक्ष।

अभियोजन की ओर से – श्री शंभु शरण सिंह,
विद्वान अपर लोक अभियोजक

बनाम

1. शंभु सहनी वल्द मुखलाल सहनी उम्र करीब 40 वर्ष
2. लखीचन सहनी वल्द छठु सहनी उम्र करीब 66 वर्ष
3. मुखलाल सहनी वल्द छठु सहनी उम्र करीब 60 वर्ष
4. रामप्रसाद सहनी वल्द छठु सहनी उम्र करीब 52 वर्ष
5. बहादुर सहनी वल्द गुलाब सहनी उम्र करीब 67 वर्ष
6. रणधीर सहनी वल्द रामप्रसाद सहनी उम्र करीब 29 वर्ष
7. सुधा देवी पति रामप्रसाद सहनी उम्र करीब 50 वर्ष
8. रविरंजन कुमार वल्द शंभु सहनी उम्र करीब 22 वर्ष

सभी साकिनान–महुआवा ,थाना– चिरैया ,जिला–पूर्वी चम्पारण.....
.....अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष की ओर से –श्री संजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता ।

सूचक की ओर से– श्री उमाकांत प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता

मोतिहारी, दिनांक 12 वीं मार्च 2026

उपस्थितः–अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

घटना की तिथि	21/04/21
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	22/04/21
आरोप–पत्र समर्पित की तिथि	31/12/21
आरोप गठन की तिथि	09/03/25
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि	05/02/25
निर्णय पर नियत की तिथि	26/02/26

2.न्यायालय, अभिषेक कु0 दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सत्रवाद संख्या– 04/2025 दिनांक 12.03.2026 शंभु सहनी व अन्य बनाम बिहार सरकार

निर्णय की तिथि	12/03/26

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्म समर्पण की तारीख	जमानत पर मुक्त करने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सुनायी गयी सजा	विचारण के दौरान कारा में बितायी गयी अवधि धारा–428
1	शंभु सहनी	24/04/21	25/06/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
2	लखीचन सहनी	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
3	मुखलाल सहनी	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
4	रामप्रसाद सहनी	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
5	बहादुर सहनी	24/04/21	25/06/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
6	रणधीर सहनी	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
7	सुधा देवी	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354, 341, 504, /34 भा. दं.वि.	दोषमुक्त		
8	रविरंजन कुमार	13/08/21	13/08/21	323, 325, 307, 354,	दोषमुक्त		

				341, 504, /34 भा. दं.वि.			

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क– अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

01	राजेन्द्र सहनी	पक्षद्रोही साक्षी
02	बिरजु सहनी	जख्मी साक्षी
03	उपेन्द्र सहनी	सूचक साक्षी
04	तेतरी देवी	जख्मी साक्षी
05	रामकिशोर सहनी	जख्मी साक्षी
06	इन्दु देवी	जख्मी साक्षी

ख–बचाव पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

ग– न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	

घ– वस्तु प्रदर्श

अभियोजन पक्ष की ओर से	कोई नहीं

नि र्ण य

1. उपरोक्त नामांकित सभी आठ अभियुक्तगण शंभु सहनी, लखीचन सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी, सुधा देवी एवं रविरंजन सहनी को धारा–323, 325, 307, 341, 504/34 भा.दं.विं. के अन्तर्गत एवं अभियुक्त सुधा देवी को छोड़कर अन्य सात अभियुक्तगण के विरूद्ध इन धाराओं के अलावा धारा– 354/34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध कारित किए जाने के लिए आरोपित किया गया है, जिससे वे इंकार

किए तथा विचारण की मांग किए।

2. संक्षेप में सूचक उपेन्द्र सहनी पिता– स्व0 मिठु सहनी, साकिन– मुहुआवा, थाना– चिरैया, जिला– पूर्वी चम्पारण का निवासी है, जिसका कथन है कि दिनांक 21.04.2021 दिन बुधवार समय सुबह 11.00 बजे वह अपने घर पर बैठा था। इसी बीच अचानक शंभु सहनी, लखीचन सहनी, सुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी एक राय करके अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा, लोहा के रड एवं चाकू लेकर के गाली–गलौज करते हुए शंभु सहनी हाथ में लिए रड से उसके उपर जान मारने की नियत से वार किया जिसे बचाने की नियत से उसके भाई राजेन्द्र सहनी आए जो उन्हें रड से सर पर वार किया जिससे उनका सर कट कर काफी खून गिरने लगा एवं बेहोश हो गए। ऐसा करते देखकर उसका भतीजा रामकिशोर सहनी आए तो उन्हें लखीचन सहनी अपने हाथ में लिए रड से उस पर वार किया जिसे रोकने के क्रम में दाहिना हाथ का गट्टा टूट गया। ऐसा देखकर बिरजू सहनी उसके भाई को बचाने के नियत से आया तो रण्धीर सहनी रड से सर पर मारा जिससे सर के बायां भाग के ऑखे के उपर कट गया जिससे काफी खून गिरने लगा एवं उसकी पतोहू तेतरी देवी बचाने की नियत से आयी तो रामप्रसाद एवं उनकी पत्नी सुधा देवी हाथ में लिए लाठी से सर फाड़ दिया जिससे जख्मी हो गई एवं उसकी पत्नी इन्दु देवी को रविरंजन कुमार लात–मुक्का से मारकर जमीन पर गिरा दिया एवं उक्त सभी लोग घर में घुसकर उसकी पत्नी को बाहर निकाल कर अपने कब्जा में लेकर वेपर्द कर दिया एवं गले से सोने का मंगलसूत्र नोच लिया। सभी जख्मियों को ग्रामीणों के मदद से सदर अस्पताल मोतिहारी में ईलाज कराया गया।

3. सूचक के फर्द बयान के आधार पर चिरैया थाना कांड संख्या–90/2021 दिनांक 22.04.2021 को अभियुक्तगण शंभु सहनी, लखीचन सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी , सुधा देवी एवं रवि रंजन कुमार के विरूद्ध धारा– 341, 323, 325, 307, 354, 379, 504/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता के द्वारा उपरोक्त सभी अभियुक्तो के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए धारा–341, 323, 325, 354, 504/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप–पत्र संख्या– 181/2022 दिनांक 31.12.2022 समर्पित किया गया तत्पश्चात् विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना स्थित ढाका के द्वारा दिनांक 29.07.2024 को धारा– 341, 323, 325, 307, 354, 504/34 भा.दं.वि के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 02.01.2025 को वाद का दौरा सुपूर्द किया गया एवं यह मामला इस न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 13.01.2025 को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी आठ अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–307, 323, 325, 341, 504/34 भा.दं.वि के अन्तर्गत एवं अभियुक्त सुधा देवी को छोड़ कर शेष सात अभियुक्तों के विरूद्ध इन धाराओं के अलावा धारा– 354/34 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया जिसे अभियुक्तगण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया ,जिससे अभियुक्तगण के द्वारा इंकार किया तथा विचारण का दावा किया गया।

4. अभियुक्तगण शंभु सहनी, लखीचन सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, रणधीर सहनी, सुधा देवी एवं बहादुर सहनी का धारा– 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान लिया गया, जिसमें वे

अपने को निर्दोष बताए।

5 अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपो को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

म न त व य

6. अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया तथा उभय पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित एवं अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। चूंकि धारा– 354 एवं 307 भा.दं.वि. का आरोप शमनीय प्रकृति का नहीं है, इसलिए इन धाराओं का निर्धारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

7. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिनमें अभि0सा0सं0– 1 राजेन्द्र सहनी, अभि0सा0सं0–2 बिरजु सहनी , अभि0सां0सं0–3 उपेन्द्र सहनी (सूचक) , अभि0सा0सं0–4 तेतरी देवी, अभि0सा0सं0–5 रामकिशोर सहनी एवं अभि0सा0सं0–6 इन्दु देवी को प्रस्तुत किया गया है । दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अभि0सा0सं0–3 उपेन्द्र सहनी सूचक है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.02.2021 को सुबह

ग्यारह बजे की है। उस समय वह अपने दरवाजा पर बैठा था तभी शंभु सहनी, लखीचन सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा एवं लोहा का रड एवं चाकू लेकर आए और गाली–ग्लौज करते हुए मारपीट करने लगे। शंभु सहनी रड चला दिए जिससे वह घायल हो गया । उसे बचाने उसका भाई राजेन्द्र सहनी, बिरजू सहनी आए उसे भी मारपीट किए। उसका भतीजा रामकिशोर सहनी आए उसे भी लखीचन्द सहनी मारपीट किए , उसकी पत्नी जब बचाने के लिए आयी तो उसे सुधा देवी मारपीट किए और उसका साड़ी फाड़ दिए तथा मंगलसूत्र निकाल लिए। इसी आशय का आवेदन थाना में दिया था। आवेदन को पढ़वाकर समझकर अपना निशान बना दिया था। आज न्यायालय में मुखलाल सहनी एवं रामचन्द्र सहनी उपस्थित है जिसे वह पहचानता है और अन्य को भी देखकर पहचान लेगा।

प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी, उसे तथा उसके भाई एवं पत्नी को कौन किसी चीज से मारा वह नहीं देखा था। वहॉ उपस्थित लोगों के कथनानुसार वह केस कर दिया था जब सच्चाई मालूम हुआ कि मुदालह निर्दोष है तो केस सुलह कर लिया है। उनलोगों का चोट साधारण प्रकृति का था। घ ाटनास्थल पर मंगलसूत्र गिरा था जो बाद में मिल गया । मंगलसूत्र को किसी ने लिया नहीं था। आवेदन को कौन लिखा था उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। वह सिर्फ अपना निशान बना दिया था। अभियुक्तगण से मुकदमा सुलह हो गया है। सुलहनामा और अनुमति पत्र पर वह अपना निशान बना दिया है। केस समाप्त हो जाने के कारण अब आगे केस नहीं लड़ना है।

10. अभि0सा0 सं0– 1 राजेन्द्र सहनी है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस

में उसका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। साक्षी द्वारा अभियोजन के सुझावों से इंकार किया है।

प्रति–परीक्षण में साक्षी कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके पट्टीदार है इसलिए जानता पहचानता है।

11. अभि0सा0 सं0– 2 बिरजू सहनी जो जख्मी साक्षी है,जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.04.2021 को सुबह 11 बजे उसके भाई उपेन्द्र सहनी को शंभु सहनी, लखीन्द्र सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी सभी मिलकर मारपीट करने लगे जब वह बचाने के लिए गया तो उसे भी अभियुक्तगण मारपीट कर घायल कर दिए । आज न्यायालय में लखीन्द्र, मुखलाल सहनी उपस्थित है, जिसे वह पहचानता है और अन्य को भी देखकर पहचान लेगा।

प्रति–परीक्षण में साक्षी कथन किया है कि घटना के दिन घ टनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी। उसी भीड़ में से कौन किसको किस चीज से मारा वह नहीं देखा था। वह गिर गया था जिससे उसे चोट आ गयी थी। किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। उसे साधारण प्रकृति का चोट था।

12. अभि0सा0सं0–4 तेतरी देवी, जो जख्मी साक्षी है, जिसने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना दिनांक 21.04.2021 को सुबह 11 बजे उपेन्द्र सहनी अपने घर पर बैठे थे तो अचानक शंभु सहनी, लखीचन्द्र सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी सभी लोग मारपीट करने लगे और जब वह बचाने के लिए गयी तो सभी अभियुक्तगण मारपीट कर घायल कर कर दिए। आज न्यायालय में लखीचन्द्र सहनी, मुखलाल सहनी उपस्थित है, जिसे वह पहचानता है और अन्य को भी देखकर पहचान लेगा।

प्रति–परीक्षण में साक्षी कथन की है कि दरवाजा पर पानी गिरा हुआ था पैर फिसल जाने के कारण उसे सर में चोट लग गयी थी किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। केस मुदालहम लोगों से सुलह हो गया है। सुलहनामा पर वह अपना निशान बना दी है। अब आगे केस नहीं लड़ना चाहती है। केस समाप्त हो जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

13. अभि0सा0 सं0– 5 रामकिशोर सहनी जख्मी साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.04.2021 को सुबह 11 बजे उपेन्द्र सहनी अपने घर पर बैठे थे तो अचानक शंभु सहनी, लखीचन्द्र सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी, सभी लोग मिलकर मारपीट करने लगे और जब वह बचाने गया तो सभी अभियुक्तगण मारपीट कर घायल कर कर दिए। आज न्यायालय में लखीचन्द्र सहनी, शंभु सहनी उपस्थित है जिसे वह पहचानता है और अन्य को भी देखकर पहचान लेगा।

प्रति–परीक्षण में साक्षी कथन किया है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी। उसी भीड़ में से किसी ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया था। गिरने से उसे चोट लग गयी थी। किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। उसे चोट साधारण प्रकृति की लगी थी। केस मुदालहम से सुलह हो गया है। सुलहनामा पर वह अपना हस्ताक्षर बना दिया है। अब आगे केस नहीं लड़ना है। केस समाप्त हो जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

14. अभि0सा0 सं0– 6 इन्दु देवी जख्मी साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षण में कथन की है। घटना दिनांक 21.04.2021 को सुबह 11 बजे की है। उपेन्द्र सहनी ही केस किए है। घटना के समय वह अपने घर पर थी। उपेन्द्र सहनी अपने घर पर बैठे थे तो अचानक शंभु सहनी, लखीचन्द्र सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी सभी लोग मिलकर मारपीट करने लगे और जब वह बचाने के लिए गयी

तो सभी अभियुक्तगण मारपीट कर घायल कर दिए। आज न्यायालय में लखीचन्द्र सहनी, शंभु सहनी उपस्थित है जिसे वह पहचानती है और अन्य को भी देखकर पहचान लेगी।

प्रति–परीक्षण में साक्षी कथन की है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी। उसी भीड़ में से किसी ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गयी थी। गिरने से उसे चोट लग गयी थी। किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। चोट उसे साधारण प्रकृति की लगी थी। केस मुदालहम लोगों से सुलह हो गया है। सुलहनामा पर वह अपना निशान बना दी है। अब आगे केस नहीं लड़ना है। केस समाप्त हो जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

15. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन ने अपने कहानी को साबित करने के लिए सूचक सहित 6 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। जिन्होंने घ टना की तारीख व समय को साबित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि सूचक उसके भाई, भतीजा ,पतोहू, पत्नी को अभियुक्तगण मारपीट कर जख्मी कर दिए थे। अभियुक्तगण की ओर से अपने को निर्दोष साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. दूसरी तरफ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन ने अपने कहानी को साबित करने के लिए सूचक सहित कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। जिसमें साक्षी संख्या–3 सूचक द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी, उसे, उसके भाई, पत्नी को कौन मारा, किस चीज से मारा वह नहीं देखा था। उपस्थित लोगों के कथनानुसार केस कर दिया था, जब सच्चाई मालूम हुआ कि मुदालहम निर्दोष है तो केस सुलह

कर लिया है। साक्षी संख्या–2 जख्मी साक्षी है, जिसने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भीड़ में कौन किसको किस चीज से मारा वह नहीं देखा । वह गिर गया जिससे उसे चोट आ गयी थी। किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था, चोट साघारण प्रकृति की थी। साक्षी संख्या–4 जख्मी साक्षी है जिसने प्रतिपरीक्षण में कही है कि पैर फिसल जाने के कारण उसे सर में चोट लग गयी थी, किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था, मुकदमा सुलह हो गया है, सुलहनामा पर वह अपना निशान बना दी है। साक्षी संख्या–5 जख्मी साक्षी है, जिसमें प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भीड़ में किसी ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया था। गिरने से उसे चोट लग गयी थी, किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। चोट साधारण प्रकृति की लगी थी। मुकदमा सुलह हो गया है। साक्षी संख्या– 6 जख्मी साक्षी है, जिसने प्रतिपरीक्षण में कही है कि भीड़ में किसी उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गयी थी, गिरने से उसे चोट लग गयी थी। उसे किसी ने मारपीट नहीं किया गया था। अब मुकदमा सुलह हो गया है। साक्षी संख्या–1 पक्षद्रोही साक्षी है , जिसने कहा है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुदालहम पट्टीदार है इसलिए जानती है। अभियुक्तगण निर्दोष है एवं दोषमुक्ति के योग्य है।

17. अभिलेख पर उपलब्ध उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन करने तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है दिनांक 21.04.2021 दिन बुधवार समय सुबह 11.00 बजे वह अपने घर में बैठा था। इसी बीच अचानक शंभु सहनी, लखीचन सहनी, सुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी एक राय करके अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा, लोहा के रड एवं चाकू लेकर के गाली–गलौज करते हुए अपने हाथ में लिए लोहा के रड से शंभु सहनी

उसके उपर वार किया जिसे बचाने की नियत से उसके भाई राजेन्द्र सहनी आए जो उन्हें रड से सर पर वार किया जिससे उनका सर कट कर काफी खून गिरने लगा एवं बेहोश हो गए। ऐसा करते देखकर उसका भतीजा रामकिशोर सहनी आए तो उन्हें लखीचन सहनी अपने हाथ में लिए रड से उस पर वार किया जिससे रोकने के क्रम में दाहिना हाथ का गट्टा टूट गया। ऐसा देखकर बिरजू सहनी उसके भाई को बचाने के नियत से आया तो रण्धीर सहनी रड से सर पर मारा जिससे सर के बायां भाग के ऑखे के उपर कट गया जिससे काफी खून गिरने लगा एवं उसकी पतोहू तेतरी देवी बचाने की नियत से आयी तो रामप्रसाद एवं उनकी पत्नी सुधा देवी हाथ में लिए लाठी से सर फाड़ दिया जिससे जख्मी हो गई एवं उसकी पत्नी इन्दु देवी को रविरंजन कुमार लात–मुक्का से मारकर जमीन पर गिरा दिया एवं उक्त सभी लोग घर में घुसकर उसकी पत्नी को बाहर निकालकर अपने कब्जा में ले जाकर वेपर्द कर दिया एवं गले से सोने का मंगलसूत्र नोच लिया। सभी जख्मियों को ग्रामीणों के मदद से सदर अस्पताल मोतिहारी में ईलाज कराया गया।

18. अभियोजन की ओर से सूचक सहित कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें साक्षी संख्या–3 सूचक द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गयी थी, उसे, उसके भाई, पत्नी को कौन मारा, किसी चीज से मारा वह नहीं देखा था। उपस्थित लोगों के कथनानुसार केस कर दिया था, जब सच्चाई मालूम हुआ कि मुदालहम निर्दोष है तो केस सुलह कर लिया है। साक्षी संख्या–2 जख्मी साक्षी है, जिसे प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भीड़ में कौन किसको किस चीज से मारा वह नहीं देखा । वह गिर गया जिससे उसे चोट आ गयी थी। किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था, चोट साघारण प्रकृति की थी। साक्षी संख्या–4 जख्मी साक्षी है जिसने प्रतिपरीक्षण में कही है कि पैर फिसल जाने के कारण उसे सर में चोट लग गयी थी, किसी ने उसे

मारपीट नहीं किया था, मुकदमा सुलह हो गया है, सुलहनामा पर वह अपना निशान बना दी है। साक्षी संख्या–5 जख्मी साक्षी है, जिसमें प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भीड़ में किसी ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया था। गिरने से उसे चोट लग गयी थी, किसी ने उसे मारपीट नहीं किया था। चोट साधारण प्रकृति की लगी थी। मुकदमा सुलह हो गया है। साक्षी संख्या– 6 जख्मी साक्षी है, जिसने प्रतिपरीक्षण में कही है कि भीड़ में किसी उसे धक्का दे दिया जिससे वह गिर गयी थी, गिरने से उसे चोट लग गयी थी। उसे किसी ने मारपीट नहीं किया गया था। अब मुकदमा सुलह हो गया है। साक्षी संख्या–1 पक्षद्रोही साक्षी है , जिसने कहा है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुदालहम पट्टीदार है इसलिए जानती है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से धारा– 354 एवं 307 भा.दं.वि. के आरोप की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी साक्षी द्वारा सूचक की पत्नी को वेपर्द करने की बात नहीं कहा गया है तथा सूचक, उसके भाई, भतीजा पतोहू एवं पत्नी से मारपीट करने तथा गम्भीर चोट लगने की घटना का समर्थन नहीं किया है। जख्मी साक्षियों द्वारा भी अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने की घटना का समर्थन नहीं किया गया है। शेष धाराएं शमनीय प्रकृति के है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप को उस प्रकार से पुष्टि नहीं किया गया है जैसा कि प्राथमिकी में कथित किया गया है। प्राथमिकी के कथनों एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में काफी विरोधाभाष प्रकट होता है।

19. उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों के समीक्षा के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 323, 325, 307, 354, 341, 504/34 भा.दं.वि. के अपराध को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है।

आ दे श

20. अतः अभियुक्तगण शंभु सहनी, लखीचन सहनी, मुखलाल सहनी, रामप्रसाद सहनी, बहादुर सहनी, रणधीर सहनी, सुधा देवी एवं रविरंजन कुमार को धारा– 323, 341, 325, 504/34 भा.दं.वि. के आरोप से सुलहनामा के आधार पर एवं धारा– 307/34 भा.दि.वि. एवं अभियुक्त सुधा देवी को छोड़कर शेष सात अभियुक्तो को धारा– 354/34 भा.दं. वि. के आरोप से भी पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के बंध–पत्र को धारा– 438ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत 6 माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत
ह0/–
(अभिषेक कुमार दास)
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
दिनांक–12 वी मार्च सन् 2026

लेखापित
ह0/–
(अभिषेक कुमार दास)
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
दिनांक–12.03.2026.

निर्णय खुले न्यायालय में, अभियुक्तों एवं उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक के उपस्थिति में सुनाया गया।

कार्यालय निर्णय कि एक प्रति जिला दण्डाधिकारी पूर्वी चम्पारण को अविलम्ब प्रेषित करे।

लेखापित

ह0/–
(अभिषेक कुमार दास)
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
दिनांक–12.03.2026.

15.न्यायालय, अभिषेक कु0 दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी,
सत्रवाद संख्या– 04 / 2025 दिनांक 12.03.2026 शंभु सहनी व अन्य बनाम बिहार
सरकार

Date of judgment/order	Judgment on 12-03-2026
Date of resrving Judgement/order	26/02/26
Uploding date	13/03/26
Uploding by	Dinesh Kumar Mehta